न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहनसिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 215/**17 (वि.प्रा.पत्र)**

1. श्री श्यामदुबे पिता रामजीवन दुबे निवासी पाठों की मगरी, उदयपुर।
2. श्री मानसिंह पिता तेजसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी, तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम्

1. श्री नाहरसिंह पिता भभुतसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी, तह. मावली।
2. श्रीमती सज्जन कुंवर बेवा रोडसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तह. मावली।
3. श्री कानसिंह पिता गुमानसिंह राव निवासी आसोलिया की मादडी तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का बोयणा, तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री जसवन्त राय चौहान, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1, 3।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 03.01.2019

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आसोलिया की मादडी पटवार हल्का बोयणा तह. मावली में निम्न कृषि आराजीयात स्थित हैं :– ''परिशिष्ठ अ'' में वर्णित आराजी नम्बर 164 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी सं. 2 एवं घीसीबाई बेवा तेजसिंह के नाम खातेदारी हक से अंकित हैं। घीसीबाई का निधन हो चुका है जिनका वारिस प्रार्थी सं. 2 हैं। ''परिशिष्ठ ब'' में वर्णित आराजी नम्बर 110 से 115 किता 6 रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी सं. 1 के नाम स्वतन्त्र खातेदारी हक से अंकित हैं। नकल जमाबन्दी संलग्न हैं। ''परिशिष्ठ स'' में वर्णित आराजी नम्बर 144 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 के नाम स्वतंत्र रूप से खातेदारी हक से अंकित हैं। नकल जमाबन्दी संलग्न हैं। ''परिशिष्ठ द'' में वर्णित आराजी नम्बर

152 रकबा 18 बीघा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 2 के नाम स्वतंत्र रूप से खातेदारी हक से अंकित हैं। नकल जमाबन्दी संलग्न हैं।

2. प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए 30 फीट चौडा मार्ग खेडा से भीमल स्टेशन आने जाने के मुख्य रास्ते के सटमा पश्चिम दिशा में स्थित विपक्षी सं. 1 की खातेदारी की ''परिशिष्ठ स'' में अंकित आराजी नम्बर 144 के उत्तरी दिशा की भूमि पर बना हुआ हैं जिससे होकर हम प्रार्थीगण आगे स्थित आराजी नम्बर 153 किस्म रास्ता तक पहुंचते है तथा आराजी नम्बर 153 किस्म रास्ता होकर प्रार्थी सं. 1 अपनी ''परिशिष्ठ अ'' में वर्णित आराजी में आता जाता हैं। तथा आराजी नम्बर 153 किस्म रास्ता से होकर ही विपक्षी सं. 2 की खातेदारी की आराजी नम्बर 152 की उत्तरी दिशा की भूमि पर स्थित 30 फीट चौडे रास्ते से होकर ही प्रार्थी सं. 1 अपनी ''परिशिष्ठ ब'' में अंकित खातेदारी की कृषि भूमि पर आता जाता रहा हैं तथा इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपनी जमीनों में कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा लाते ले जाते आ रहे है। किन्तु विपक्षी सं. 1 से 3 उक्त ''परिशिष्ठ स, द'' में वर्णित आराजीयात पर बने रास्ते से हम प्रार्थीगण को हमारी उक्त वर्णित कृषि भमियों पर जमीन में आवागमन करने से रोक रहे हैं तथा विपक्षी सं. 1 व 3 ने आराजी नम्बर 153 किस्म रास्ता के मुहाने पर अनाधिकार रूप से अतिक्रमण कर खडकमा पत्थर कोट निर्माण करवा रास्ते को अवरूद्ध कर दिया हैं। जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

3. हम प्रार्थीगण के पास कलम सं. एक के ''परिशिष्ठ अ, ब'' में वर्णित हमारी कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में बरसात का मौसम है परन्तु विपक्षी सं. 1 से 3 द्वारा ''परिशिष्ठ स, द'' में वर्णित आराजीयात पर बने रास्ते से होकर हमारी जमीनों मे आने जाने, संज, बैल, मवेशी, ट्रेक्टर, बैलगाडी आदि ले जाने से रोक दिया है जिससे हम उक्त जमीन में फसल की बुवाई भी नहीं करवा सके है और हमारे समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। विपक्षी सं. 1 से 3 द्वारा हम प्रार्थीगण उक्त रास्ते से होकर हमारी जमीनों में आने जाने से रोक देने से एवं आराजी नम्बर 153 के मुहाने पर अनाधिकार रूप से अतिक्रमण कर विपक्षी सं. 1 से 3 द्वारा कोट निर्माण करवा रास्ता अवरूद्व कर देने से हम प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमियों पर आवागमन नहीं कर पा रहे है और न ही अपनी जमीनों की सार सम्भाल, हकाई, बाड वगैरा ही करवा सक रहे हैं।

4. वर्तमान में हम प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमियों के आवागमन करने के लिए एकमात्र रास्ता मुख्य मार्ग के सटमा स्थिति विपक्षी सं. 1 की खातेदारी की आराजी नम्बर 144 की उत्तरी दिशा की पाली पर बने रास्ते से होकर ही है जो आगे आराजी नम्बर 153 किस्म रास्ता तक पहुंचता है जो आराजी नम्बर 152 के सीमा पर खतम होता है तथा आराजी नम्बर 152 की उत्तरी दिशा की पाली पर बने रास्ते से होकर सुगमता पूर्वक अपनी कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी ट्रेक्टर द्वारा ला व ले जा सकेगें। इसके अलावा हम प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए कोई मार्ग नहीं हैं। हम प्रार्थीगण ने हमारी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए विपक्ष सं. 1, 2 को उनकी आराजीयात की उत्तरी दिशा की भूमि पर रास्ता देने बाबत् एवं आराजी नम्बर 153 के मुहाने पर विपक्षी सं. 1, 3 द्वारा अनाधिकार रूप से किये गये कोट को हटाकर रास्ता खुला करने हेतु निवेदन किया किन्तु विपक्षी सं. 1 से 3 ने इन्कार कर दिया और हमारे साथ लडाई झगडा करने पर अमादा हुए। इसलिए हम प्रार्थीगण की जमीनों में आवागमन करने के लिए विपक्षी सं. 1 व 2 की ''परिशिष्ठ स, द'' में वर्णित कृषि भूमि की उत्तरी दिशा की भूमि पर बने रास्ते से बैलगाडी, ट्रेक्टर सुगमता पूर्वक आ जा सके उतनी चौडाई का रास्ता कायम कराया जाना एवं आराजी नम्बर 153 के मुहाने पर विपक्षी सं. 1 व 3 द्वारा अतिक्रमण कर दिये गये कोट निर्माण को हटाया जाकर रास्ता पूर्व अनुसार चालु करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।
5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 08.01.2012 को संशोधन कर नयी धारा 251(क) अन्तः स्थापित कर अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार कराने का अधिकार दिया गया हैं। यदि किसी खातेदार द्वारा अवरोध किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश प्राप्त कर अपने खेतो तक पहुंचने के लिए नया मार्ग बनाने एवं विद्यमान मार्ग को चौडा कराने का प्रावधान दिया गया हैं। इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।
6. हम प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मजबूत मामला हैं क्योंकि हम प्रार्थीगण की जमीन में आने जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षी सं. 1, 2 की आराजीयात की उत्तरी भाग की जमीन पर ही बना हुआ है जिससे होकर ही प्रार्थी सं. 2 एवं उसके पूर्वक पहले आते थे तथा वर्तमान में हम प्रार्थीगण इसी रास्ते से होकर हमारी जमीनों में

आते जाते रहे हैं। हमारी जमीन में आने जाने का अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होने की वजह से वर्तमान में हम प्रार्थीगण अपनी जमीनों में जाकर खेतों की साफ सफाई, बाड वगैरा भी नहीं करवा पा रहे है जबकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है। ऐसी अवस्था में हम प्रार्थीगण की जमीनों तक पहुंचने के लिए विपक्षी सं. 1, 2 की परिशिष्ठ स, द में वर्णित आराजीयात में से नया मार्ग कायम कराया जाना न्यायसंगत होकर आवश्यक हैं और विपक्षी सं. 1, 2 की आराजीयात भूमि में नया मार्ग कायम करना इसलिए भी सुविधाजनक है क्योंकि विपक्षी सं. 1, 2 की खातेदारी की कृषि भूमि मुख्य रास्ते एवं हमारी भूमियों के एकदम सटमा और निकट हैं। उपरोक्तानुसार मार्ग कायम करने से एवं आराजी नम्बर 153 के मुहाने पर अवैध रूप से निर्माण किये गये पत्थर के कोट को हटाने से विपक्षी सं. 1 से 3 को किसी तरह की कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी। बल्कि नया मार्ग कायम नहीं करने से एवं अतिक्रमण नहीं हटाने से हम प्रार्थीगण हमारी कृषि भूमि में आवागमन नहीं कर सकेगे और सदैव के लिए हमारी जमीनों के उपयोग उपभोग से महरूम हो जावेगें जिससे हम प्रार्थीगण को अतुलनीय एवं अपरिमित हानि होगी जिसका आंकलन किसी भी सूरत में किया जाना सम्भव नहीं होगा। सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

7. हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 18.08.2017 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी सं. 1 से 3 को हम प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आवागमन से रोक दिया जिस पर हम प्रार्थीगण ने हमारी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए उनकी आराजीयात के उत्तरी भाग पर रास्ता देने एवं आराजी नम्बर 153 के मुहाने पर विपक्षी सं. 1 व 3 द्वारा अनाधिकार रूप से निर्माण किये गये कोट को हटाने बाबत् निवेदन किया तो विपक्षी सं. 1 से 3 ने इन्कार कर दिया और हमारे साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हुए। उत्पन होकर निरन्तर जारी हैं।

8. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावे कि :– प्रार्थना पत्र की कलम सं. 1 के ''परिशिष्ठ अ, ब'' में अंकित आराजीयात पर पहुंचने तक के लिए ''परिशिष्ठ स, द'' में अंकित विपक्षी सं. 1, 2 की खातेदारी की आराजीयात के उत्तरी भाग की भूमि पर 30 फीट चौडा (ट्रेक्टर, बैलगाडी सुगमता पूर्वक गुजरने की चौडाई में) मार्ग कायम किया जावे एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शें में रास्ता के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु एवं आराजी

नम्बर 153 किस्म रास्ता के मुहाने पर विपक्षी सं. 1 व 3 द्वारा अनाधिकार रूप से अतिक्रमण कर जो पत्थर का कोट निर्माण करवाया गया है उसे हटवाया जाकर रास्ता पूर्व अनुसार चालु करवाये जाने हेतु विपक्षी सं. 4, 5 को आदेशित किया जावें। रास्ता बाबत् प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के आदेशानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार हैं। विपक्षी सं. 1 से 3 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि विपक्षी सं. 1 से 3 प्रार्थीगण को उक्त रास्ता से होकर उनकी कृषि भूमियों में शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे और कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करें, उक्त रास्ता को न अवरूद्व करे, न बाधित करे, प्रार्थी को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करें, न अपने नौकार चाकर एजेन्ट, परिवारजन इत्यादि के ही करावें।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 3 द्वारा प्रर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नही किया जाने से जवाब दावा का अवसर बन्द किया गया। विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

10. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कायम करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगणों के आने जाने के लिये पूर्व में आने जाने हेतु रास्ता है अतः नया रास्ता दिया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा आसोलियों की मादडी, पटवार हल्का बोयणा में स्थित प्रार्थी की भूमि आराजी

नम्बर 164, 110 से 115 में जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 144 एवं 152 में होकर रास्ता चाहता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं होने का कथन किया हैं।

2. क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी आराजी नम्बर 144 एवं 152 में से 30 फीट चौडा रास्ता चाहता हैं। जो प्रार्थी के खेत में जानें के लिए सबसे न्यूनतम दूरी का रास्ता होना बताया हैं जो कि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी हैं।

3. यदि प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

तहसीलदार मावली द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्तें के अलावा इससे न्यूनतम दूरी का कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्याकंन प्रस्तुत करें।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी विपक्षी के आराजी नम्बर 144 रकबा 5.15 बीघा में से 0.08 बीघा, आराजी संख्या 152 रकबा 18.00 बीघा में से 0.06 बीघा भूमि रास्ते में आ रही है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 3,79,557/– अक्षरे तीन लाख उन्नासी हजार पांच सौ सतावन रूपयें प्रतिबीघा हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 0.14 बिस्वा की कुल कीमत 2,65,690 अक्षरे दौ लाख पैंसठ हजार छः सौ नब्बे रूपयें होना बताया हैं।

12. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 164, 110 से 115 में जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 144 एवं 152 में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। आराजी नम्बर 153 बिलानाम गैर काबिल काश्त होकर वर्तमान में रास्ते के रूप में काम आ रही है जो आराजी नम्बर 152 एवं 144 को जोडती है। प्रार्थी को अपने खेत पर जाने के लिये आराजी संख्या 144 एवं 152 में से होकर आना जाना पडता है उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। अतः नियमानुसार शुल्क पर प्रार्थी को

रास्ता दिया जाना न्यायहीत में उचित है। प्रार्थी से कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर की दुगुनी प्रतिकर लिया जाकर रास्ता दिया जाने का प्रावधान हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : <u>आदेश</u> : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा आसोलिया की मादडी, पटवार हल्का बोयणा की आराजी नम्बर 164, 110 से 115 भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 श्री नाहरसिंह की आराजी नम्बर 144 रकबा 5.15 बीघा में से 0.08 बीघा भूमि एवं विपक्षी संख्या 2 श्रीमती सज्जनकुंवर की आराजी नम्बर 152 रकबा 18.00 बीघा में से 0.06 बीघा भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी एवं सी से डी तक का रास्ता कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर 3,79,557/— रूपयें प्रतिबीघा के हिसाब से प्रस्तावित रकबा विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 144 में से 0.08 बीघा की कुल कीमत 1,51,823/— का दुगुना 3,03,646/— अक्षरें तीन लाख तीन हजार छः सौ छियालिस रूपयें एवं विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 152 मे से 0.06 बीघा की कुल कीमत 1,13,867 /— का दुगुना 2,27,734 अक्षरे दौ लाख सताईस हजार सात सौ चौतीस रूपये कुल राशि 5,31,380 अक्षरे पांच लाख इकतीस हजार तीन सौ अस्सी रूपये प्रार्थी से प्रतिकर के रूप में वसूल कर विपक्षी संख्या 1 एवं 2 को दिये जावें। इसके पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली